

FORM NO III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

मालत उपखण्ड अधिकारी अरांई

मुकाम अरांई (अजमेर)

रिया लाल पुत्र मोहनलाल जाति माली निवासी ग्राम अरांई तहसील अरांई अजमेर राज व
न्या।
-वादीगण।

बनाम

- किशनी पत्नी गणेश जाति जाट निवासी सील तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान व अन्य
-प्रतिवादीगण।

किस्म मुकदमा- धारा 53,188 राज0 का0 अधि01955

नंबर 10/2024

ऑनलाइन नंबर 2024/97.....

वकील वादी :- अशोक शर्मा

वकील प्रतिवादीगण.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/5/2024	<p>यह वादपत्र वादीगण की ओर से वकील वादी श्री अशोक शर्मा ने अन्तर्गत धारा 53, 188 राज.का. अधि. 1955 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादीगणों की तलबी जरिये सम्मन द्वारा की जाकर पत्रावली दिनांक 09/5/2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी अरांई</p>	
03/5/2024	<p>पत्रावली पेश की वकील वादी अशोक शर्मा पत्रावली में अशोक शर्मा वाद पत्रावली 14/5/2024 को पेश की।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)</p>	
14/6/24	<p>पत्रावली पेश की वकील वादी उप' प्रतिवादी 06,08 अप' पत्रावली वाद पत्रावली अशोक शर्मा प्रतिवादीगण दिनांक 8/6/24 को पेश की।</p>	<p>02/07/2024</p> <p>एफ्टी एर</p>
08/8/24	<p>पत्रावली पेश की वकील वादी अशोक शर्मा प्रतिवादीगण अशोक शर्मा प्रतिवादीगण अप' पत्रावली दिनांक 08/8/24 को पेश की।</p>	<p>under taking</p>

2/1/25
पुणे

पुणेची पंचायती वकील पदमापनामना। वकील
वादी को गांधीजी हे असे हत्यार डी पट
मी गांधीजी हिने पंचायती मी। असे
पुणेची असे नमकी तपासिली मी लार्ड
मी पाना हे। पुणेची पुणेच्या घरात
हे नम ही पुणे